

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1690 / 2024


दिनांक : 04.05.2024

सुश्री रंजना सर्राफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को दिनांक 15.04.2024 से 20.04.2024 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 21.04.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री सर्राफ की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/36/2002/ 3563

दिनांक : 04.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक को उनके पत्रांक 14 दिनांक 22.04.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री रंजना सर्राफ (RJ00403), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) व मोटर वाहन दुर्घटना वाद न्यायाधीकरण, टोंक।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।


04/5/2024
सहायक रजिस्ट्रार